

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-जनपद शाहजहांपुर दिनांक 29.07.2022

थाना सदर बाजार ने अपराधियों के विरुद्ध की कार्यवाही

जनता से लूटपाट करने व जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर करने वाले अभ्यस्थ अपराधियों के सक्रिय गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्यवाही।

श्री एस0 आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व जघन्य अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में व श्री अखण्ड प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही।

अभियुक्तगण 1. अभिनव सिंह उर्फ राजा 2. हर्षित मिश्रा 3. वैभव मिश्रा 4. उत्कर्ष शर्मा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जिसका सरगना सुधाशु सिंह चौहान है। गिरोह के सभी सदस्य अभ्यस्त अपराधी हैं। गिरोह के द्वारा जनता के व्यक्तियों से रूपये, चेन, मोबाइल आदि लूट कर मोटरसाईकिल एवं अन्य वाहनो पर बैठकर फरार हो जाते हैं एवं इनके द्वारा थाना रामचन्द्र मिशन क्षेत्र में एक व्यक्ति को जबरदस्ती मोटरसाईकिल पर बैठाकर बंधक बनाकर जंगल में ले जाकर जान से मारने की नीयत से फायर कर घायल कर दिया था। यह गिरोह इतना शातिर है कि तुरंत जान से मारने की नीयत से फायर कर देता है जिससे जनता में भय व आतंक व्याप्त है। इसलिये इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना नितांत आवश्यक हो गया था।

इसी क्रम में दिनांक 28.07.2022 को थाना सदर बाजार द्वारा उक्त गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0 733/2022 धारा 2/3 उ0 प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत कर किया गया तथा अभियुक्त हर्षित मिश्रा व वैभव मिश्रा व उत्कर्ष शर्मा को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

अभियुक्तों का विवरण

1. सुधाशु सिंह चौहान पुत्र रामशरण सिंह नि0मो0 हुसैनपुरा थाना कोतवाली शाहजहांपुर
2. अभिनव सिंह उर्फ राजा पुत्र राघवेन्द्र सिंह नि0 बादशाहनगर थाना से0म0द0 जनपद शाहजहांपुर
3. हर्षित मिश्रा पुत्र अशोक कुमार मिश्रा नि0मो0 हुसैनपुरा थाना कोतवाली चौक जनपद शाहजहांपुर
4. वैभव मिश्रा पुत्र जयप्रकाश मिश्रा नि0मो0 नवीची थाना बण्डा शाहजहांपुर हाल पता आरपीएफ कालोनी थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
5. उत्कर्ष शर्मा पुत्र लल्लूराम शर्मा नि0मो0 चौक भाटन टोला थाना कोतवाली शाहजहांपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 733/2022 धारा 2/3 उ0 प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986

आपराधिक इतिहास:-

➤ *आपराधिक इतिहास सुधाशु सिंह चौहान उपरोक्त*

- (1) मु0अ0सं0 340/22 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार शाहजहांपुर
- (2) मु0अ0सं0 376/21 धारा 307/342 भादवि थाना आरसी मिशन शाहजहांपुर

➤ *आपराधिक इतिहास अभिनव सिंह उर्फ राजा उपरोक्त*

- (1) मु0अ0सं0 340/22 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार शाहजहांपुर

➤ *आपराधिक इतिहास हर्षिता मिश्रा उपरोक्त*

- (1) मु0अ0सं0 340/22 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार शाहजहांपुर

➤ *आपराधिक इतिहास वैभव मिश्रा उपरोक्त*

- (1) मु0अ0सं0 340/22 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार शाहजहांपुर

➤ *आपराधिक इतिहास उत्कर्ष शर्मा उपरोक्त*

- (1) मु0अ0सं0 340/22 धारा 392/411 भादवि थाना सदर बाजार शाहजहांपुर